

धोखाधड़ी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, नगदी व कागजात

बरामद

दिनांकः-05.08.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा जनपद में वांछित/वारिण्टयों की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 05.08.22 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रित श्री सुशील यादव के नेतृत्व में थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 223/22 धारा 406/506/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 में प्रकाश में आये कुल 04 अभियुक्तों 1.पदमनाथ दुबे पुत्र मारकंडे दुबे नि0 तेदुंवारी थाना गौरी बाजार जनपद देविरया 2.अंकुर राय पुत्र संजय राय नि0 चिरयाब बुर्जन थाना गौरी बाजार जनपद देविरया 3.अतिउल्ला अंसारी पुत्र स्व0 रमजान अंसारी नि0 तेदुंवारी थाना गौरी बाजार जनपद देविरया 4.गंगेश्वर पांडे पुत्र उमेश पांडे नि0 सेमरा सिंगला थाना कसमा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनके कब्जे से कुल 75,000/-रुपये नगद, एक अदद स्विफ्ट कार, 08 अदद मोबाइल, 03 अदद ATM, अन्य फर्जी दस्तावेज संबंधी प्रपत्र बरामद हुए है। अभियुक्तों द्वारा हाइटेक कंपनी के टॉवर लगाने के नाम पर लोगो से ठगी कर पैसे अपने बताये गये खातों में डलवाकर धोखाधड़ी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्तो का नाम व पता-

- पदमनाथ दुबे पुत्र मारकंडे दुबे नि0 तेदुंवारी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
- अंकुर राय पुत्र संजय राय नि0 चरियाब बुर्जन थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
- अतिउल्ला अंसारी पुत्र स्व0 रमजान अंसारी नि0 तेदुंवारी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
- गंगेश्वर पांडे पुत्र उमेश पांडे नि0 सेमरा सिंगला थाना कसमा जनपद कुशीनगर

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 223/22 धारा 406/506/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना मछरेहटा सीतापुर।

बरामदगी-

- 75,000/-/-रुपये नगद
- एक अदद स्विफ्ट कार UP 32 KY 4448
- 08 अदद मोबाइल
- 03 अदद ATM
- अन्य फर्जी दस्तावेज संबंधी प्रपत्र

पुलिस टीम -

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रकाश
- 2. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तिवारी
- 3. आरक्षी सुनील
- 4. आरक्षी तेजवीर यादव
- 5. आरक्षी कुशल चाहल
- 6. आरक्षी विनोद चाहर



